

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चूण्डावत (आर.ए.एस.)

दर्ज दिनांक 05.01.2023

प्रकरण संख्या :- 05/2023 (2023/7)

प्रापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

आबा आत्मज काना भील निवासी सालेरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल आत्मज गोपू भील
  2. झालू आत्मज गोपू भील
  3. श्रीमती कंचन देवी पत्नि सुखलाल भील
  4. भैरूलाल आत्मज चतरू लौहार
  5. रोशनलाल आत्मज चतरू लौहार
  6. रतनलाल आत्मज चतरू लौहार
- सर्व निवासी सालेरा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
7. गणपतलाल आत्मज नारायणलाल रेगर निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

उपस्थिति-

अधिवक्ता प्रार्थीगण:- श्री जगदीश चन्द्र व्यास

विपक्षीगण संख्या:- 1 लगायत 7 अनुपस्थित

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय

दिनांक:-17.05.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सालेरा पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाडा के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2152 रकबा 0.13 हे0, 2184 रकबा 0.60 हे0, 2185/2 रकबा 0.45 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.18 हे0 भुमि राजस्व खाता संख्या 480 पर स्थित है। जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सालेरा पटवार हल्का सालेरा तहसील सहाडा के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2152 रकबा 0.13 हे0, 2184 रकबा 0.60 हे0, 2185/2 रकबा 0.45 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.18 हे0 भुमि राजस्व खाता संख्या 480 पर स्थित भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो सक्षम न्यायाल में वाद दायर कर चाराजोही करें। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 500/- ( पांच सौ रु. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 500/- ( पांच सौ रु. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)

सहायक उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड (भूमि) गंगापुर जिला भीलवाडा